



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 830) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 261, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ एतद् द्वारा जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है।

2 इसके प्रकाशन की तिथि बाद एक माह के भीतर प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19क के उपनियम (1) में संशोधन—उक्त नियमावली का नियम 19क के उपनियम(1) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

“(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रुपये प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर से, भुगतान की जायेगी।”

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016-3840)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस०ओ० 262, एस०ओ० 261 दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016-3841)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 261, dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act xxxv of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 with immediate effect, the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received within one month after the date of its publication, will be considered by the State Government.

AMENDMENTS**1. Amendment of sub-rule (1) of rule 19A of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984.—**

Sub-rule (1) of rule 19A of the said rules shall be substituted by the following :-

" (1) The consolidated amount of tax payable under Section 3AA shall be paid by the proprietor of any Cable Service or Cable Television Network for each connection given to the subscriber at the rate of fifty rupees per connection per month irrespective of the fact that exhibition of programmes through Cable Service or Cable Television Network is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person."

(No.Bikri-kar/Sansodhan- 10/2016-3840)

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURWEDI,

Commissioner Commercial Taxes-cum- Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 830-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>